/176641/2023

संख्याः– 1845 / XXXI(13)G/07-2023

प्रेषक,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,उत्तराखण्ड ।
2. - समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
3. - समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांकः 20 दिसम्बर,2023

विषय :– उत्तराखण्ड के मूल निवास प्रमाणपत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या–2688 / एक–4 / सा0प्रशा0 / 2001 दिनांक 20 नवम्बर,2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न प्रयोजनों हेतु स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की व्यवस्था की गई है ।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि राज्य में सेवायोजन, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रदेश में अन्य विभिन्न कार्यो हेतु उत्तराखण्ड के मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को सम्बन्धित विभागों, संस्थाओं व संस्थानों द्वारा स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु बाध्य किया जा रहा है, जबकि इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या 60 / CM/xxxi (13)G/07-87(3)/2007 दिनांक 28 सितम्बर 2007 के द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिये स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन प्रयोजनों के लिये स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उन प्रयोजनों के लिये मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु बाध्य न किया जाए।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

Signed by Vinod Kumar Suman
Date: 20-12-2023 15:14:35

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव

संख्या XXXI(13)G/07-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।

2– सचिव, श्री राज्यपाल,उत्तराखण्ड ।

3– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।

4– सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।

5– सचिव, लोक सेवा आयोग, कनखल, हरिद्वार/उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून/उत्तराखण्ड, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून ।

6– सचिव, माध्यमिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद,रामनगर (नैनीताल)।

7– सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून/ सेवा का अधिकार आयोग,देहरादून ।

8– निदेशक, आई0टी0डी0ए0,देहरादून/एन0आई0सी0,देहरादून ।

9– समस्त निजी एवं शासकीय तकनीकी एवं गैर तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।

10– गार्ड फाईल ।

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव